रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 121] नई दिल्ली, शनिवार, जून 27, 1970/आषाढ़ 6, 1892

No. 121] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 27, 1970/ASADHA 6, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 27th June 1970

G.S.R. 972.—In pursuance of clause (a) of sub-section (3) of section 15 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance No. 42-Cus. dated the 1st April, 1970, *namely*:—

In the Schedule annexed to the said notification, for the figures "14.16" under column (3) shown against S. No. 4, the figures "13.58" shall be substituted.

[No. 59/F. No. 15/3/70-Cus. VI.]

J. DATTA, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 27 जून 1970

सा० का० नि० 972—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 15 की उपधारा (3) के खण्ड (क) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं० 42—सीमा शुल्क, तारीख 1 अप्रैल, 1970 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में, क्रम सं० 4 के सामने स्तम्भ (3) के नीचे दर्शित "14.16" अंकों के स्थान पर "13.58" अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं० 59/फा० सं० 15/3/70—सीमा शुल्क]

ज्योतिर्मय दत्त, उप सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970